

प्रेषक,

एचओपीओ सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5064/76/एक/एडोएनवीवीवर्ड/2016-17, दिनांक 25 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में कुछेक कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्रविधानित धनराशि से जनपद-जौनपुर की न०प०, मछली शहर व खेतासराय की 12 परियोजनाओं एवं जनपद-बहराइच की न०पा०प०, बहराइच व न०प०, रिसिया की 39 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 71 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-474/2016/1188/69-1-16-12(ओसो-37)/2016, दिनांक 28 जून, 2016 द्वारा ₹ 970.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 485.015 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत प्रविधानित बजट से उक्त अनुदान में से केवल जनपद-जौनपुर की न०प०, मछली शहर एवं खेतासराय की 10 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹ 64.06 लाख (रुपये चौंसठ लाख छः हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सन्दर्भ में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय इस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अर्हता प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपयुक्तानुसार निहित ऋद में व्यवस्था की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित सम्यक् सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

4. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिलास्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उक्त कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्त नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय स्थितियों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते में नहीं रखी जायेगी; स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त परियोजना की मात्राओं को निर्माण के सम्य सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा परियोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किरगि अन्य प्रांत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा करके शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विगृहीति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि को आहरण सिदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र.0, लेखनज द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय राजस्व एवं शरीरी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र.0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महलेखाकार (राजकोष), महलेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयुक्त प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठात व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागल-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियाँ तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलार्किंग तथा नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के तामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 24/2017/162(1)/69-1-2017, तड़ित्तिका।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 5020, 20 सराजनी, नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 5040, छठवां तल, संगम प्लेसा, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, विभाग, 5020 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 5040 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 5020 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 5040, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक


आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

संलग्नक।

(घनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ न०पं० का नाम	बस्ती/वाड़ का नाम/कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत
1	2	3	4	5	6
1.	जौनपुर	न०पं० मछली रहस	वाड़ नं० 12. नो० सराय जौनपुर इलाहाबाद नाली से तैयद बाड़ा अजीन के मकान तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.53	7.265
2.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 4. नो० कंटापली में गफूर के मकान से जैनुज आददीस के मकान तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.45	4.23
3.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 10 गोहना अंतर्ध्याता में दीन मोहम्मद के मकान से शायत अंसारी के मकान तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8.62	4.31
4.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 09 मोहम्मद इया शकर नगर में मुसुर रईनी के घर से अकूद रईनी के घर तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.77	5.885
5.	तदैव	तदैव	मोहम्मद मुतलान में कामिन इपैरे के मकान से फरीद के मकान तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.96	0.48
6.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 04 जोहना बरजाली इकिया की नस्िद के सामने तड़न में इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.23	5.915
7.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 09 नो० इपारेवत नगर में सुसुफ राईन के घर से नो० अहमद रईनी के घर तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.07	3.035
8.	तदैव	तदैव	निजीनुरीन शाय के मकान से नो० बली मुहम्मद के मकान तक नाली एवं इण्टरलकिंग कार्य।	3.65	1.825
9.	तदैव	न०पं०: चेतासराय	वाड़ नं० 1 जागियाना में बलीम अहमद के मकान के घर से पोखरा होते हुए मुसिलन शही के अडिस्ताल तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	25.91	12.905
10.	तदैव	तदैव	वाड़ नं० 11 जोधियाता में बशी राइव के दयूदेल से इली वाडव से अडिस्ताल तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	36.42	18.21
योग				128.12	64.06

(रूपये चौंसठ लाख छः हजार मात्र)।


 (अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
 अनु सन्याल